रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. NO. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 219] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 1992/चैत्र 10, 1914
No. 219] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 1992/CHAITRA 10, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1992

का.आ. 249(अ)/18क/आई.डी.आर.ए./92.—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के कानूनी आदेश संख्या 157(अ)/18क/आई.डी.आर.ए./79, तारीख 27 मार्च, 1979 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम आदेश कहा गया है) कलकत्ता में स्थित मैसर्स लिली बिस्कुट कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड और मैसर्स लिली बार्ली मिल्स (प्रा.) लिमिटेड नामक दोनों औद्योगिक उपक्रमों के प्रबंध का 27,

मार्च, 1979 से तीन वर्ष की अवधि के लिए अभिग्रहण किया गया था और रुग्ण और बन्द उद्योग विभाग जो अब औद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग, कलकत्ता के नाम से जाना जाता है, में पश्चिम बंगाल के सचिव को "प्राधिकृत नियंत्रक" के रूप में नियुक्त किया गया था,

और यतः केन्द्रीय सरकार ने अपनी यह राय होने पर कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश पूर्वोक्त तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात प्रभावी बना रहे। 31 मार्च, 1992 तक की और अवधि के लिए ऐसे बने रहने के लिए समय-समय पर निर्देश जारी किए थे। (देखिए भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश स. का. आ. 178(अ)/18क/आई. डी. आर. ए./82, तारीख 26 मार्च, 1982, सं. का. आ. 698(अ)/18क/आई. डी. आर. ए./82, तारीख 25 सितम्बर, 1982, स. का. आ. 384(अ)/18क/आई. डी. आर. ए./83, तारीख 31 मई, 1983, सं. का. आ. 936(अ)/18क/आई. डी. आर. ए./83 तारीख 29 दिसम्बर, 1983, सं. का. आ. 469(अ)/18क/आई. डी. आर. ए./84 तारीख 28 जून, 1984, सं. का. आ. 967(अ)/18क/आई. डी. आर. ए./84 तारीख 28 दिसम्बर, 1984, सं. का. आ. 280 (अ)/18क/आई. डी. आर. ए./85 तारीख 30 मार्च, 1985, सं. का. आ. 144 (अ)/18क/आई. डी. आर. ए./86 तारीख 31 मार्च, 1986, सं. का. आ. 271(अ)/18क/आई. डी. आर. ए./87, 30 मार्च, 1987, सं. का. आ. 327(अ)/18क/आई. डी. आर. ए./88, तारीख 30 मार्च, 1988, सं. का. आ. 246 (अ)/18क/आई. डी. आर. ए./89, तारीख 31 मार्च, 1989 सं. का. आ. 275(अ)/18क/आई. डी. आर. ए./90, तारीख 30 मार्च, 1990 और सं. का. आ. 213(अ)/18क/आई. डी. आर. ए./91 तारीख 26 मार्च, 1991,

और यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश 31 मार्च, 1993 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है और अवधि के लिए प्रभावी बना रहे,

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि 27 मार्च, 1979 का उक्त आदेश 31 मार्च, 1993 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[फा. सं. 2 (3)/80—सं. यू. एस.]

एन. आर. कृष्णन, अवर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 30th March, 1992

S.O. 249(E)|18A|IDRA|92 :—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S. O. 157(E)|18A|IDRA|79 dated the 27th March, 1979 (hereinafter referred to as the said Order) the management of industrial undertakings known as Messrs. Lily Biscuit Company (Private) Limited and Messrs Lily Barley Mills (Private) Limited, both located at Calcutta, had been taken over for a period of

three years with effect from the 27th March 1979 and the Secretary to the Government of West Bengal in the Department of Sick and Closed Industries now known as Department of Industrial Reconstruction, Calcutta, was appointed as 'Authorised Controller'.

And, whereas, the Central Government being of opinion that it is expedient in the public interest that the said order should continue to have effect after the expiry of the period of three years aforesaid, had issued directions from time to time, for such continuance for a further period upto 31st March, 1992 (vide Order of the Government of India in the Ministry of Industry, Department of Industrial Development),

Nos. S.O. 178(E)|18A IDRA|82, dated the 26th March, 1982,
S.O. 688(E)|18A|IDRA|82, dated the 25th September, 1982,
S.O. 384(E) 18A|IDRA|83, dated the 31st May, 1983,
S.O. 936(E)|18A|IDRA|83, dated the 29th December, 1983,
S.O. 469(E)|18A IDRA|84, dated the 28th June, 1984,
S.O. 967(E)|18A IDRA|84, dated the 28th December, 1984,
S.O. 280(E)|18A|IDRA|85, dated the 30th March, 1985,
S.O. 144(E)|18A|IDRA|86, dated the 31st March, 1986,
S.O. 271(E)|18A|IDRA|87, dated the 30th March, 1987,
S.O. 327(E)|18A|IDRA|88, dated the 30th March, 1988,
S.O. 246(E)|18A|IDRA|89, dated the 31st March, 1989,
S.O. 275(E)|18A|IDRA|90, dated the 30th March, 1990 and
S.O. 213(E)|18A IDRA|91, dated the 26th March, 1991.

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said order should continue to have effect for a further period upto and inclusive 31st March, 1993.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of the Section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order dated the 27th March, 1979 shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1993

[File No. 2(3)|80-CUS]
N. R. KRISHNAN, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992